निगरानी प्रकरण कमांक /2014
प्रस्तुति दिनांक

माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ग्वालियर, कैम्प, इन्दौर

R-3610-PBR/14

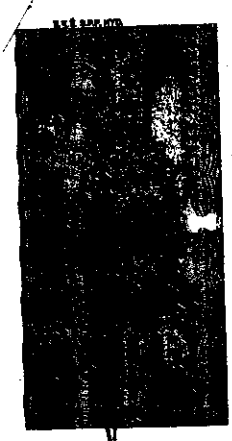

1) प्रकाशचंद पिता छोटेलाल
2) अशोक कुमार पिता छोटेलाल,
निवासीगण चितावद, इंदौर, म.प्र. ....**निगरानीकर्ता / प्रार्थी**

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....**प्रत्यर्थीगण**

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता,1959

श्री एम.एस. तोमर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 27-10-14 को इंदौर कैम्प पर प्रस्तुत।
27-10-14

मान्यवर,

माननीय अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के न्यायालयीन अपील प्रकरण कमांक 253ए/13–14 में पारित आदेश दिनांक 29/09/2014 से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर उसे अपास्त करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 3610–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–9–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण की ओर से 41 वर्ष पश्चात दिनांक 27–12–1971 के आदेश के पालन में धारा 115/116 के अंतर्गत प्रविष्टियों का शुद्धिकरण कर द्रेस नक्शे में संशोधन चाहा गया है । लगभग 41 वर्ष पश्चात उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखकर अपील निरस्त करने में भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । क्योंकि संहिता की धारा 115 में तहसीलदार द्वारा स्वमेव कार्यवाही कर प्रविष्टि संशोधित की जाती है, और धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र पर प्रविष्टि संशोधित किये जाने का प्रावधान है, जिसके लिये एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये	

समवर्ती निष्कर्षों में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष